# भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 (1) तथा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के नियम 10 के तहत गठित बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह की मूल्यांकन रिपोर्ट

ग्राम भदवासी, ढ़ाकोरिया, गंठिलासर, मकौड़ी, पिलनवासी व बालासर तहसील व जिला नागौर में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड (आरएसएमएमएल) द्वारा प्रस्तावित भदवासी जिप्सम खदान परियोजना हेतु निजी खातेदारी भूमि में जिप्सम खनन विकसित किए जाने हेतु 274 खसरों की कुल 463.17 हेक्टर भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु सामाजिक समाघात अध्ययन एजेन्सी मिनमेक कंसल्टेंसी प्रा. लि. द्वारा प्रस्तुत, अधिनियम के विभिन्न मानकों के अनुरूप, अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट (Social Impact Assessment Study Report) एवं अंतिम सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना (Social Impact Management Plan) का मुल्यांकन कर अनुशंषा प्रस्तुत किए जाने हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 (1) सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के नियम 10 के प्रावधानानुसार खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार के समसंख्यक आदेश क्रमांक प.10(1)खान/ग्रुप–1/2023 जयपुर दिनांक 21.11.2024 द्वारा गठित बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह की बैठक दिनांक 26.12.2024 को प्रातः 11:30 बजे जयपुर स्थित सी–89–90, लाल कोठी, रजिस्टर्ड कार्यालय राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड में श्री गोविंद नारायण शर्मा (पुनर्व्यवस्थापन संबंधी विशेषज्ञ) की अध्यक्षता में आयेाजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुवे।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | डॉ. कमल नारायण शर्मा, (रिटायर्ड प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ डवलपमेंट स्टडीज) 84/32, शंकराचार्य मार्ग, मानसरोवर, जयपुर (पुनर्व्यवस्थापन संबंधी विशेषज्ञ) | सदस्य |
| 2. | डॉ. रामेश्वरलाल सैनी, सोशल साइंटिस्ट, 14, कृष्णा नगर चतुर्थ, इमली फाटक, जयपुर (सामाजिक वैज्ञानिक) | सदस्य |
| 3. | डॉ. राजीव गुप्ता, (रिटायर्ड प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय), 109, मोहन नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (सामाजिक वैज्ञानिक) | सदस्य |
| 4. | डॉ. रश्मि जैन, (प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय), जे–39, कृष्णा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर। | सदस्य |
| 5. | श्री मदनलाल/पुरखाराम, सरपंच, ग्राम पंचायत गंठिलासर, तह. व जिला नागौर | सदस्य |
| 6. | श्री डुंगरराम/गोरखाराम, पंच, ग्राम पंचायत गंठिलासर, तह. व जिला नागौर | सदस्य |
| 7. | श्री भवराराम प्रतिनिधि, श्री नारायणराम/गोविंदराम, ग्राम पंचायत मकौड़ी, तह. व जिला नागौर | सदस्य |
| 8. | श्री हजारीराम/छोटुराम, वार्ड पंच ग्राम पंचायत मकौड़ी, तह. व जिला नागौर | सदस्य |
| 9. | श्री कुम्भाराम प्रतिनिधि, श्रीमती आयचुकी/हुक्माराम, ग्राम पंचायत बालवा, तह. व जिला नागौर | सदस्य |
| 10. | श्री छोटुराम/जैनाराम, वार्ड पंच ग्राम पंचायत बालवा, तह. व जिला नागौर | सदस्य |
| 11. | श्री देवी शंकर आचार्य (प्रमुख व प्रभारी), एसबीयू एंड पीसी–जिप्सम, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। | सदस्य |

उक्त के अतिरिक्त एसआईए हेतु चयनित एजेन्सी मिनमेक कंसल्टेंसी प्रा. लि. की प्रतिनिधि डॉ. मारीशा शर्मा भी बैठक में उपस्थित हुई। बैठक में बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट (Social Impact Assessment Study

Report) एवं अंतिम सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना (Social Impact Management Plan) पर गहन विचार विमर्श किया गया। साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, श्रीमान मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार व श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय नागौर को, ग्राम सभाओं के आयोजन के पश्चात दिये गये जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों के ज्ञापन जो कि प्राधिकृत अधिकारी (भू–अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिलाधीश नागौर के पत्र क्रमांक कोर्ट/भूमि अवाप्ति/जिप्सम/2024/2455, दिनांक 28.10.2024 के द्वारा प्राप्त हुए पर विस्तारित चर्चा की गई। विचारविमर्श एवं ज्ञापनों पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये गये।–

1. प्रश्नगत अवाप्ति हेतु 463.17 हेक्टर भूमि प्रस्तावित है जो न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप है। अवाप्ति से विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या 61 एवं अस्थाई रूप से स्थित संरचनाओं का विस्थापन 75 परिवारों का होगा, जो कि न्यूनतम है। इससे कम को विस्थापित किया जाना संभव नहीं है।
2. विस्थापित हो रहे परिवारों को मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं रा0 भूमि अर्जन, पु0 और पु0 में उ0 प्र0 और पा0 का आ0 नियम, 2016 के अन्तर्गत दिया जाये स्वतंत्र बाजार दर का तुलनात्मक अध्यन कर मुआवजा राशि देने की सर्व सम्मत अनुशंसा की गयी।
3. प्रश्नगत अवाप्ति सार्वजनिक खनन परियोजनार्थ लोकहित में है।
4. सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भविष्य में होने वाले संभाव्य फायदे बहुत अधिक है।
5. प्रस्तावित खनन योजना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा तथा साथ में जिप्सम आधारित उद्योंगों का विकास होगा। वर्तमान में जिप्सम आधारित पीओपी फेक्ट्रियां बंद हाने के कगार पर है, वे पुनः सुचारू रूप से चलने लगेगी, जिसका लाभ अन्ततः स्थानीय व्यवसाईयों को मिलेगा।
6. इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन करने के कुछ पहलू है जो ग्रामीण/प्रभावित व्यक्तियों का जनसुनवाई के दौरान इंगित किया गया है जिसका निवारण भी विभाग द्वारा किया जाये। यह पहलू निम्न प्रकार से निवेदित है–

   क). परियोजना अन्तर्गत प्रभावित सभी गांवो के खातेदारों की मांग है कि भूमि का मुआवजा बाजार दर के आधार पर मिले तथा इसके निर्धारण में पारदर्शिता एवं समरूपता रखी जाये। उचित एवं न्याय संगत मुआवजा एवं पुनर्वासन सहायता राशि प्रदान की जाये। विस्थापित होने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति को और स्पष्ट किया जाए तथा सामाजिक आर्थिक डेटा का विश्लेषण किया जाए।

   ख). प्रभावित खातेदारों का कहना है कि खनन क्षेत्र में जो भूमि अवाप्त की जायेगी में जिसका हिस्सा प्रभावित हो रहा है, उसी को मुआवजा राशी दी जाये।

   ग). प्रभावित परिसम्पत्तियों निर्माण/संरचनाओं/वृक्षों का मुआवजा वर्तमान दर से दिया जाये ऐसे दुर्बल परिवार जिनकी पूरी भूमि अवाप्ति में है को उपयुक्त स्थान पर भूमि प्रदान की जाये साथ ही आर. आर. प्लान को उपयुक्त स्थान दिया जाए।

   घ). सार्वजनिक संरचनाओं जैसे प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र, श्मशान इत्यादि की वैकल्पिक व्यवस्था खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर पिलनवासी गांव में उचित स्थान पर की जाये। धार्मिक आस्था के केन्द्र भगतीराम जी का टांका/मंदिर व गुरूद्वारा को न हटाया जाये।

   ड़). सम्बंधित सदस्य ग्राम पचायतों की मांग पर सी.एस.आर. गतिविधियों के अर्न्तगत सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सहमति स्थल पर एक सयुक्त आधुनिक प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र, एक पानी का ओवरहेड टेंक, महिला सशक्तिकरण हेतु स्किल डवलपमेन्ट सेन्टर चरणबद्व तरीके से बनवाये जाये। आधुनिकतम सुविधाओं युक्त एम्बुलेंस की खदान पर उपलब्धता सुनिश्चित कि जावे।

   च). ग्राम वासियों एंव जानवरों कि सुरक्षा हेतु खदान के गडढो के चारो तरफ सुरक्षा बाड़ अथवा दिवारो का निर्माण करवाया जाये।

छ). जमीन का मूल्यांकन/मूल्य का निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 के आधार पर किया जाये।

ज). रोजगार में प्राथमिकता स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता एवं कौशल के आधार पर दी जावे।

7. ग्राम सभाओं के बाद जनप्रतिनिधियों एंव ग्रामवासियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया गया जिसमें बाजार मुल्य आधारित अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत मुआवजा राशि देने पर भूमि देने की ग्राम वासियों द्वारा सहमति जताई गई है।
8. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार व श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय नागौर को दिये गये ज्ञापनों में वर्णित बिन्दु ग्राम सभाओं के दौरान अतिरिक्त कलक्टर को दिये गये ज्ञापन से संबंधित थे जिन पर ग्राम सभाओं के दौरान विचार विमर्श हो चुका है। ज्ञापनों में उठाये गये बिन्दुओं का, प्राधिकृत अधिकारी (भू–अवाप्ति) तथा प्रतिनिधि परियोजना प्रस्तावक द्वारा, सकारात्मक जवाब एवं आश्वासन एसआईए रिपोर्ट में वर्णित है।
9. सार्वजनिक संरचना जैसे प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र, श्मशान इत्यादि का खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर वैकल्पिक व्यवस्था की सहमति दी गई है। भगतीराम जी का टांका/मंदिर व गुरूद्वारा को यथासंभव न हटाने की सहमति दी गई है।

अतः उक्त आधार पर बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रश्नगत भूमि को अवाप्त किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

डॉ. कमल नारायण जोशी
(पुनर्व्यवस्थापन संबंधी विशेषज्ञ)

डॉ. रामेश्वरलाल सैनी
(सामाजिक वैज्ञानिक)

डॉ. राजीव गुप्ता
(सामाजिक वैज्ञानिक)

डॉ. रहिम जैन
(प्रोफेसर समाज शास्त्र)

मदनलाल/पुरखाराम
सरपंच
ग्राम पंचायत गंठिलासर
तह. व जिला नागौर

डुंगरराम/गोरखाराम
वार्ड पंच
ग्राम पंचायत गंठिलासर
तह. व जिला नागौर

भवराराम, प्रतिनिधि
नारायणराम/गोविंदराम
ग्राम पंचायत मकौड़ी
तह. व जिला नागौर

हजारीराम/छोटुराम
वार्ड पंच
ग्राम पंचायत मकौड़ी
तह. व जिला नागौर

कुम्भाराम, प्रतिनिधि
श्रीमती आयचुकी/हुक्माराम
ग्राम पंचायत बालवा
तह. व जिला नागौर

छोटुराम/जैनाराम
वार्ड पंच
ग्राम पंचायत बालवा
तह. व जिला नागौर

देवी शंकर आचार्य
प्रमुख एवं प्रभारी,एसबीयू एंड पीसी जिप्सम
आरएसएमएमएल

गोविन्द नारायण शर्मा
पुनर्व्यवस्थापन संबंधी विशेषज्ञ
अध्यक्ष, बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह